

कार्यालय – उप जिलाधिकारी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड **N.Tehri** परिक्षेत्र के **Mussooni** वन प्रभाग की **कैम्पटी** रेंज के अन्तर्गत जनपद **N.Tehri** के विकास खण्ड **Jonpur** में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Yamuna Bridge- kempty** (Total Length 16.2 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.486 है0 तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab)** के पक्ष में वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील –) की दिनांक **31/5/18** को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|----|--------------------------|---------------------------|----------|
| 1. | श्री सी. एन. कन | उप जिलाधिकारी | अध्यक्ष। |
| 2. | श्री के.पी.एस. | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3. | श्री एच.एम. मेरी | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य। |
| 4. | श्री मि.एम.प.ब.र. | बी0डी0सी0 क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी **कैम्पटी** रेंज के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चमोली वन प्रभाग के विकास खण्ड **Jonpur** में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) Yamuna Bridge - kempty** (Total Length 16.2 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.486 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab)** के पक्ष वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु में अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी (**मसुरी**) वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसम्मति से **N.Tehri** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **Mussooni** वन प्रभाग के **कैम्पटी** रेंज अन्तर्गत जनपद **N.Tehri** के विकास खण्ड **Jonpur** में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) Yamuna Bridge- kempty** (Total Length- 16.2 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.486 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab)** को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

तहसील..... / जनपद-.....
 प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

चनोली
विहरी गढ़वाल
 उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

उप जिलाधिकारी, द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद Natehm के विकास खण्ड Jonpur में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from yamuna Bridge- kempu (Total Length 16.2 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.486 है० वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पत्र सं० 11-9 /98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा सड़क निर्माण, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त रखा गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित/आंबटित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आंबटित 0.486 है० वन भूमि / बंजर कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।



/ प्रयोक्ता

30/11/2018
राजस्व उपनिरीक्षक
कैम्पटी
तहसील-धनोली, टि०ग०

30/11/2018
राजस्व उप निरीक्षक
भटोली
तहसील नैनबाग, टि०ग०

30/11/2018
तहसीलदार
धनोली
टिहरी गढ़वाल

30/11/2018
उप जिलाधिकारी
धनोली
टिहरी गढ़वाल